


जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति के सदस्य व समस्त कार्यदायी संस्थाओं एवं आई0एस0ए0 एजेन्सियों के साथ अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 09/04/2026 की जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति समीक्षा का कार्यवृत्त।

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति के सदस्य तथा उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली के अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक दिनांक 09.04.2026 को आयोजित की गयी। आयोजित बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया-

- | | | |
|---|----|-----------|
| 1. मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली | :- | उपाध्यक्ष |
| 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चन्दौली | :- | सदस्य |
| 3. प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, चन्दौली | :- | सदस्य |
| 4. जिला विकास अधिकारी, चन्दौली | :- | सदस्य |
| 5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चन्दौली | :- | सदस्य |
| 6. जिला कृषि अधिकारी, चन्दौली | :- | सदस्य |
| 7. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, चन्दौली | :- | सदस्य |
| 8. अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग, चन्दौली | :- | सदस्य |
| 9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण चन्दौली | :- | सदस्य |
| 10. अधिशासी अभियन्ता (वि0/याँ0), खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण, वाराणसी | | |
| 11. जिला पंचायत राज अधिकारी, चन्दौली :- | | |
| 12. नायब तहसीलदार, चकिया :- | | |
| 13. नायब तहसीलदार, सकलडीहा:- | | |
| 14. धर्मेन्द्र कुमार, डी0ओ0पी0आर0ओ0:- | | |
| 15. अधिशासी अभियन्ता, पी0डब्ल्यू0डी0, :- | | |
| 16. स्टेट हेड, कार्यदायी संस्था, वी0एस0ए0 | | |
| 17. स्टेट हेड, कार्यदायी संस्था, एच0एफ0सी0एल0 | | |
| 18. समस्त सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम चन्दौली | | |
| 19. समस्त अवर अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम चन्दौली | | |
| 20. प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लिमिटेड | | |
| 21. प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स वी0एस0ए0 | | |
| 22. प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स जी0ए0 इन्फ्रा-बाबा जे0वी0 | | |
| 23. प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स एच0एफ0सी0एल0 | | |
| 24. प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स ईस्ट इण्डिया उद्योग लि0 | | |
| 25. समस्त स्टाफ डी0पी0एम0यू0 / टी0पी0आई0, चन्दौली। | | |



Latitude: 25.255837
 Longitude: 83.247072
 Elevation: 97.13±1.04 m
 Accuracy: 28.58 m
 Time: 09-04-2026 13:25
 Collectorate Chandauli

DEO PS SWSM CHANDAUJI

बैठक में सर्व प्रथम अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा जनपद- चन्दौली में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से चयनित सभी 05 एजेन्सियों की प्रगति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा यह भी अवगत कराया गया कि लिखित सूचना दिये जाने पश्चात् भी मात्र कार्यदायी संख्या वी0एस0ए0 एवं एच0एफ0सी0एल0 के स्टेट प्रतिनिधि उपस्थित हुये लेकिन ऑयन, जी0ए0, ईस्ट इण्डिया के स्टेट प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुये। अतः निर्देशित किया जाता है कि जब तक इन फर्मों के स्टेट हेड उपस्थित नहीं होते तब तक इन फर्मों के वरिष्ठ अधिकारी अपनी संस्था की प्रगति रिपोर्ट सहित अधिशासी अभियन्ता के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रतिदिन नियमित प्रातः 11 बजे उपस्थित होंगे।

जनपद में कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों की प्रगति उपेक्षाकृत संतोषजनक नहीं है तथा क्षेत्र से इनके विरुद्ध रोड पुनर्स्थापन, नियमित जलापूर्ति एवं पम्प ऑपरेटरो को उचित मानदेय न दिये जाने के सम्बन्ध में नियमित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जिससे जनपद की छवि धूमिल हो रही है। इन्हीं कारणों से सभी कार्यदायी संस्थाओं के स्टेट हेड को आज की बैठक में उपस्थित होने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, चन्दौली द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया था लेकिन कार्यदायी संस्था ऑयन एक्सचेंज, जी0ए0, ईस्ट इण्डिया के स्टेट हेड उपस्थित नहीं हुये। अतः अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, चन्दौली इनके विरुद्ध माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्र तत्काल प्रेषित करे।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, चन्दौली को निर्देशित किया जाता है कि मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली के पर्यवेक्षण में गूगल फॉर्म विरचित करे। जिसमें समस्त कार्यदायी संस्थाएँ अपने प्रत्येक परियोजना की नियमित प्रगति रिपोर्ट यथा रोड मरम्मत, मैनपावर की उपलब्धता, मशीनरी की उपलब्धता, प्रगति की स्थिति (फोटोग्राफ सहित) इत्यादि नियमित रूप से अपलोड करेगे। इसके साथ ही सभी परियोजनाएँ की निर्धारित पूर्ण होने की तिथियाँ व स्टैज वाइज प्रगति अंकित करे।


अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, चन्दौली को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली के पर्यवेक्षण के एक अन्य गूगल फॉर्म विरचित करेगे। जिसमें सभी निरीक्षण अधिकारी क्रमशः सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता एवं टी0पी0आई0ए0 के सदस्य नियमित जाँच रिपोर्ट अपलोड करें। उल्लेखनीय है कि सभी जाँच अधिकारी उन कमियों का यथा जहाँ फर्म द्वारा तोड़ी गयी सड़कों का रेस्टोरेशन न कराया गया हो, जहाँ पाइप लाइन नहीं पड़ी हो, जिन घरों में एफ0एच0टी0सी0 न हुये हो एवं जलापूर्ति नहीं हो रही हो उनका फोटोग्राफ लेकर गूगल शीट पर अपलोड कर अपनी टिप्पणी अंकित करेगे। जिन गाँवों का हर घर जल प्रमाणित है उसमें कितने घरों में पानी नहीं जा रहा है।


अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, चन्दौली को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली के पर्यवेक्षण के एक और गूगल फॉर्म विरचित करेगे। जिसमें सभी कार्यदायी संस्था परियोजना के संचालन में आ रही समस्याओं जैसे भूमि की समस्या, अवरोध की समस्या, एन0ओ0सी0 की समस्या इत्यादि को अंकित करेगे।


अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, चन्दौली द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्र संख्या 2487/JJM Letter/2025-26/Tech-20 दिनांक 30.10.2025 एवं पत्र संख्या 2947/JJM Letter/2025-26/Tech-20 दिनांक 30.12.2025 द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं के स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये गये हैं। उसके अनुपालन अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, चन्दौली द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 1 सतही एवं 473 भूजल आधारित योजनाएँ हैं। जिनकी स्रोत स्थिरता की कार्य योजना तैयार कर ली गयी है, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किया जाना है।


उक्त के अतिरिक्त सभी कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि जिन-जिन परियोजनाओं में वितरण प्रणाली बिछाने के दौरान सड़कों की कटिंग की गयी है, उन सड़कों को शीघ्र गुणवत्तापूर्वक मोटरेबिल कर दिया जाये जिससे ग्रामवासियों को आने-जाने में समस्या उत्पन्न न हो। सभी फर्मों के पास आवश्यक मैन पावर की कमी है तथा इनके द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अतिमत्वाकांक्षी योजना के निर्माण कार्यों में विशेष रुचि नहीं ली जा रही है, जिससे योजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब हो रहा है। सभी फर्मों को निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा निर्धारित समय अवधि में कार्यों को पूर्ण कराया जाना आवश्यक है। फलस्वरूप पर्याप्त रिंग मशीन, कम्प्रेसर, ओपी यूनिट व स्क्रिड मैन पावर बढ़ा कर नियत समय में कार्य पूर्ण करने की कार्य योजना बनाये तथा सभी निर्माण कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराये जिससे कि योजनाओं को ससमय

संचालित कर योजनाओं से लाभान्वित होने वाली जन संख्या को नियमित जलापूर्ति की जा सके। यदि कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिथिलता पायी जाती है तो सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक समाप्त करते हुए निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक में कम्पोनेन्ट वाइज विवरण तैयार कर प्रस्तुत किये जाए, जिससे कि फर्मों द्वारा कराये गये कार्यों की प्रगति की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।



अधिशारी अभियन्ता (वि०/यॉ०)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
सिगरा, वाराणसी।



अधिशारी अभियन्ता
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
चन्दौली।



अधिशारी अभियन्ता
सिंचाई विभाग,
चन्दौली।



जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी
चन्दौली


जिला कृषि अधिकारी
चन्दौली।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
चन्दौली


जिला विकास अधिकारी
चन्दौली।


प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग, चन्दौली


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
चन्दौली।


मुख्य विकास अधिकारी
चन्दौली


जिलाधिकारी
चन्दौली

कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।

पत्रांक:- 1966 / एस. डब्ल्यू. एस. एम. / डी. डब्ल्यू. एस. एम. / 34 दिनांक:- 15.04.26

- प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. अधिशारी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
 2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
 3. मुख्य अभियन्ता (वाराणसी), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
 4. मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली।
 5. समस्त सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, चन्दौली।
 6. समस्त उप जिलाधिकारी, चन्दौली।
 7. अधिशारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली।
 8. समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर कार्यदायी संस्था जनपद-चन्दौली।
 9. समस्त आई०एस०ए०, चन्दौली।


जिलाधिकारी
चन्दौली